न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 36 / 2023 (अपील)

उनवान

श्रीमति तमीजा बानो आयु 58 साल पत्नी श्री अब्दुल जब्बार जाति सींगीवाला निवासी ग्राम सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. श्रीमति तेजकंवर पत्नी स्व0 गिरिराज जाति नायक निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
2. पूजा नायक पुत्री स्व0 गिरिराज जाति नायक निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
3. पवन नायक पुत्र स्व0 गिरिराज जाति नायक निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
4. विकास नायक पुत्र स्व0 गिरिराज जाति नायक निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा
5. दी स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब तहसील सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री किशोरीलाल चौधरी (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट 1से 4 की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नामान्तरकरण सं0 1699 दिनांक 26.05.2022 ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा न्यायालय तहसीलदार सांगोद जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 05.09.2024

अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगोद के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1699 दिनांक 26.5.. 2022 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है कि आदेश

अति. जिला कलक्टर
कोटा

नामान्तरकरण जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के ख0न0 1668 की 4.55 हैक्टर कृषि आराजियात गिरिराज पुत्र बालकिशन जाति नायक निवासी ग्राम सांगोद के 1/8 हिस्से के सहकृषक थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार श्री गिरिराज के सहकृषक थे। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार श्री गिरिराज का फोती नामान्तकरण सं0 1699 दिनांक 26.05.2022 को रेस्पो0 न0 1 लगायत 4 के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाण्ट को सूचना दिये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया। खातेदार गिरिराज आत्मज बालकिशन जी ने उसके 1/8 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट को दिनांक 7.7.2020 को 500000/–रूपये अक्षरे पांच लाख रूपये में बैचान कर कब्जा सम्भला दिया था। वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि पर निरन्तर काबिज चली आ रही है। एवं वर्तमान में भी काबिज है। अपीलाण्ट को उपरोक्त भूमि का बैचान कर देने से विक्रेता गिरिराज आत्मज बालकिशन जी जाति नायक का उपरोक्त भूमि पर कोई हित विघमान नहीं था। अपीलाण्ट जाति से सींगीवाला है तथा अनूसूचित जाति का सदस्या है अतः अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र वेध है इस तथ्य पर भी अधीनसथ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। दीगर आराजियात अपीलाण्ट के खाते दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे के सम्बन्ध मं जांच किये बिना ही राज0 लैण्ड रेवेन्यू लैण्ड रिकार्ड रूल्स के प्रावधानो के विपरीत नामान्तरकरण जेर अपील तस्दीक फरमाने मे त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि पर अपीलाण्ट बहैसियत क्रेता वैधानिक रूप से काबिज है। अपीलाण्ट भूमि में हित निहित है। नामान्तरकरण जेर अपील से अपीलाण्ट के हितो पर विपरीत प्रभाव पडा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण सं0 1699 दिनांक 26.05.2022 ग्राम सांगोद तहसील सांगोद निरस्त फरमाया जाकर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित फरमाया जावे कि वे अपीलाण्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान कर उपरोक्त भूमि का नामान्तरंकरण अपीलाण्ट के पक्ष में तस्दीक करे।

उक्त अपील मे अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में ख0न0 की 4.55 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित है। उपरोक्त भूमि के 1/8 हिस्से के सहकृषक गिरिराज पुत्र बालकिशन जी जाति नायक निवासी ग्राम थे। श्री गिरिराज जी की मृत्यु हो चुकी है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट–1 लगायत–4 दोनो अनूसूचित जाति के सदस्य है। सहकृषक गिरिराज पुत्र बालकिशन जी जाति नायक ने उपरोक्त भूमि में निहित उसके सम्पूर्ण 1/8 हिस्से की भूमि अपीलाण्ट को दिनांक 7.07.2020 को जर्ये पंजीकृत –पत्र बैचान कर कब्जा संभला

अति. जिला कलक्टर
कोटा

दिया था, वक्त खरीद से ही अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत–4 स्वीकार करते है। रेस्पोडेन्ट नम्बर –1 लगायत–4 ने इस बाबत मालुमात कर अपनी सन्तुष्टि कर ली है। सहकृषक गिरिराज जी की मृत्य होने पर उपरोक्त भूमि के सम्बध में उनका फौती नामान्तकरण संख्या 1699 दिनांक 26.05.2022 को रेस्पोडेन्ट नम्बर –1 लगायत–4 के पक्ष में सर्वथा गलत रूप से तस्दीक किया गया है, जिसे निरस्त किये जाने में रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत –4 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त भूमि पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 7.07.2020 के आधार पर अपीलाण्ट के खाते दर्ज किये जाने में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1–लगायत –4 को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। इस सम्बध में रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 लगायत–4 इस राजीनामा से सहमत है। अतः प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर बरूये राजीनामा अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 1699 दिनांक 26.05.2022 ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा निरस्त फरमाने की कृपा करे। पंजीकृत विकय –पत्र के आधार पर उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट ने मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। फौती नामान्तकरण संख्या 1699 वाके ग्राम सांगोद दिनांक 26.05.2022 को रेस्पोडेन्ट नम्बर –1 लगायत–4 ने निरस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत–4 इस राजीनामा से सहमत है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1699 दिनांक 26.05.2022 वाके ग्राम सांगोद तहसील सांगोद निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पंजीकृत विकय –पत्र 07.07.2020 के आधार पर अपीलाण्ट के खाते उपरोक्त भूमि दर्ज किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार करे एवं विधि सम्मत आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा